



दिनांक: 28 जनवरी, 2019

ब्यूरो के मानकों और लेबलिंग योजना के तहत पंजीकृत सभी निर्माताओं और अनुज्ञाधारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश।

यह, ऑनलाइन सिस्टम को पूरा करने के बारे में 17 मई, 2018 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा जारी अलर्ट के अनुक्रम में है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि 01 जून, 2018 से ब्यूरो, केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही भुगतान (किसी भी प्रकार का शुल्क) स्वीकार करेगा न कि ऑफलाइन मोड अर्थात् डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से।

हालांकि अलर्ट जारी करने के बाद, यह पाया गया है कि कुछ विनिर्माता अभी भी ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से लेबलिंग शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान कर रहे हैं। तदनुसार, अनुज्ञाधारकों को एक बार फिर से निदेश दिया जाता है कि निकासी में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करें। इस संशोधित अलर्ट के जारी करने के बाद भी यदि डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो बीईई द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समीर पंडिता) (समीर पंडिता) निदेशक 28/01/2019





28th January, 2019

Important Instruction to all Manufacturers & Permittee registered under Standards & Labelling Scheme of the Bureau

This is in continuation to the alert issued by Bureau of Energy Efficiency (BEE) on 17th May, 2018 regarding transition to complete online system, wherein it was informed that w.e.f. 1st June, 2018, Bureau will only accept the payment (any type of fee) via an online mode only and not through the offline mode i.e. Demand Draft.

However, post the issuance of an Alert, it has been found that some manufacturer are still making payments like labelling fee through offline mode i.e. via Demand drafts. Accordingly, all Permittees are once again directed to make the payments only via an online mode to avoid any delay in clearance. Demand draft received, if any post the issue of this revised alert will not be entertained by BEE.

(Sameer Pandita)
Director
28/01/2019